

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।

पत्रांक... 5735
दिनांक... 03/05/2024



0612-2330035

sfo cum director-bih@gov.in

प्रपत्र-ड

File No.- 240/2023

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र
बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अन्तर्गत

प्रेषक,

सेवा में,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना।

श्री संजीव कुमार,
निदेशक-
Winsome Lifespace Developers

आवेदनकर्ता वारतुविद्, मगोज कुमार (विशिष्ट आई.डी.नं० CA/2002/29414)

विषय :- भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत।

महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्ता संजीव कुमार के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियममावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम Winsome Lifespace Developers, पार्टनर-श्री संजीव कुमार, पिता-श्री राजेश्वर, प्लॉट नं०-641पी, खाता नं०-268, तौजी नं०-5855, थाना नं०-17, थाना-दानापुर, मौजा-सिकन्दरपुर, जिला-पटना, अधिभोग व्यावसायिक-सह-आवासीय, उप श्रेणी व्यावसायिक-सह-आवासीय, भवन की ऊँचाई 23.40 (मीटर में) फर्श क्षेत्र 8058.16 वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या 11, तलघर की संख्या 1, स्लिट/भूतल की संख्या 1, भवन के ब्लॉक की संख्या 1, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार 24, लिफ्ट की संख्या 2, फायर लिफ्ट की संख्या 1, रैम्प की संख्या 1, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या 1, फायर टावर की संख्या 1 है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद्/भवन निर्माणकर्ता/भू-स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :-

(1) भवन निर्माणकर्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर 8.08 मी०, दक्षिण 8.2 मी०, पूर्व 16.54 मी०, पश्चिम 8.21 मी०) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या 1, चौड़ाई 3.15 (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या 1, चौड़ाई 3.30 (मीटर) प्रस्तावित किया गया है।

(2) खुला स्थान एवं पहुँच-

(क) भवन के चारों तरफ तत्समय प्रवृत्त भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(3) बनावट :-

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग-अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बॉटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा ।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा ।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा । सभी उर्ध्व डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा ।

(4) सीढ़ी :-

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्थायी भेन्ट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवाल की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा ।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए ।

(च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा ।

(5) अग्नि सुरक्षा प्रणाली :- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:-

(क) होज रील

(ख) वेट राईजर-सह-डाउन कमर सिस्टम (02 अदद)

(ग) यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम

(घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम

(ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम

(च) स्प्रिंकलर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)

(छ) भूतल स्टैटिक टैंक की क्षमता 150000 लीटर

(ज) ओभर हेड वाटर टैंक 27490 लीटर क्षमता प्रति ब्लॉक

(झ) एक पम्प हाउस 2850 एल.पी.एम. इलेक्ट्रीक एवं डीजल, 180 एल.पी.एम. जॉकी पम्प, 900 एल.पी.एम. बूस्टर पम्प

(ञ) फायर एक्सटींग्यूसर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे- बिहार भवन उपविधि, 2014, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभोग के लिए वांछित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगा। कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

(क) लिफ्ट :-

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्पीक्लर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई0एस0 गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिंग भत्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल0पी0एम0 पम्प के साथ होगा। आई0एस0 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई0एस0आई0 मार्कड अग्निशमन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्ताचालित कॉल अलार्म प्वाइन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलघर में स्वचालित स्पीक्लर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओभर हेड वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबुल सील होनी चाहिए।

(च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान – ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान Vertical Enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे Enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक Vertical Openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :-

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रयाप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटों की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रौशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराईजेशन/तलघर का वेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार करना होगा।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेन्टीलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाइस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँआ के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हैंडलिंग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को ए0सी0 सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुँआ का फैलाव रोका जा सके।

(vii) विद्युत अधिष्ठापन— विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आई0एस0/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंसपेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी—एन0बी0सी0 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए0एम0सी0 योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात् निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

(8) इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जाँच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है।

अनुलग्नक:-

- 1) वास्तुविद, मनोज कुमार
- 2) अध्यक्ष, नगर निगम, पटना।

निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।
संजय कुमार
NS



Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 10AAEFW3620Q1Z4

1.	Legal Name	WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS			
2.	Trade Name, if any	WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS			
3.	Additional trade names, if any				
4.	Constitution of Business	Partnership			
5.	Address of Principal Place of Business	C/O SANJEEV KUMAR ROOM NO 2, FLAT NO 101, Suksha Presidency, Ramjaipal Road, NEAR B R AMBEDKAR DENTAL COLLEGE, Danapur, Patna, Patna, Bihar, 801503			
6.	Date of Liability				
7.	Period of Validity	From	23/09/2023	To	Not Applicable
8.	Type of Registration	Regular			
9.	Particulars of Approving	Centre			
Signature		Signature Not Verified Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK 07 Date: 2023.09.23 13:16:18 IST			
Name		Sharad Kumar			
Designation		Superintendent			
Jurisdictional Office		Danapur 1			
Date of issue of Certificate		23/09/2023			
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.					

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 23/09/2023 by the jurisdictional authority.

WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

PARTNER



Goods and Services Tax Identification Number: 10AAEFW3620Q1Z4

Details of Additional Place of Business(s)

Legal Name WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS
Trade Name, if any WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

Total Number of Additional Places of Business in the State 0

WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS
[Signature]
PARTNER

Goods and Services Tax



Goods and Services Tax Identification Number: 10AAEFW3620Q1Z4

Legal Name WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

Trade Name, if any WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

Details of Managing / Authorized Partners

1		Name	SANJEEV KUMAR
		Designation/Status	PARTNER
		Resident of State	Maharashtra
2		Name	SANJAY KUMAR
		Designation/Status	PARTNER
		Resident of State	Bihar

WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS
Sanjeev Kumar
PARTNER



winsome

WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS


To whomsoever it may concern

The preparation and presentation of financial statements of non-corporate entities, including partnership firms is governed by **Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)** in India, read along with the accounting standards issues by the **Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)**.

As 3(Revised) dealing in Cash Flow Statement clearly states that this standards is not mandatory for small and medium sized companies and non-corporate entities, as further defined in **Appendix 1** to the Compendium of Accounting Standards.

While preparation of Cash Flow Statement is mandatory for corporate organisation as per the Companies Act, 2013, same is not mandatory for partnership firms.

For, Winsome Lifespace Developers

WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

PARTNER

(Authorized Signatory)

Winsome Lifespace Developers

101, Suksha Presidency, Ramjaipal Road, Bailey Road, Patna-801503, Bihar India | +91 9123230464
www.winsomegroup.in



WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

winsome

To,

Authorised Officer,

Real Estate Regulatory Authority (Rera)

Patna, Bihar.

Subject: Non-Submission of the audited profit and loss statements

Dear Madam/Sir,

I, Sanjeev Kumar, partner of "Winsome Lifespace Developers" located at Flat No.101, Suksha Presidency, Ram Jaipal Road ,Bailey Road,Danapur ,P.S-Rupaspur,District-Patna,Bihar,PIN-801503, hereby furnishing a letter regarding non submission of Audited profit & loss statements for the last 3 years.

As per the requirement, we have to furnish last 3 years of Auditor's report. Since our firm, "Winsome Lifespace Developers is a new firm established in year 2022 and as per the income tax act, 1961 a partnership firm can only file for the financial year report of audited P&L statements only when it comes under the taxable limit .

Thanking You

WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

PARTNER

For, Winsome Lifespace Developers

(Authorized Signatory)

Winsome Lifespace Developers

101, Suksha Presidency, Ramjaipal Road, Bailey Road, Patna-801503, Bihar India | +91 9123230464
www.winsomengroup.in



WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

winsome

To whom it may be concern

I Sanjeev Kumar partner of Winsome Lifespace Developers and also proprietor/Partner of below mentions firm and the details of the Project done in last five years by Promotor are given below in past five years. In this regard i would like to inform you about my all running projects status, for which project has been completed or is going on. Here i must tell in advance that none of my projects have been delayed, all have been completed or are going on in their own time. Also I would like to inform that there is no pending case for any of my projects. I have given all the consideration amount to the land owners on or before time. The details of the projects done by me or going on for the last 5years are given below.

Project Name	Firm Name	RERA NO	Current Status
Winsome Empire ABC&D	Winsome Infrastructure	BRERAP00038-1/28/R-12/2018	Completed
Winsome Plaza	Winsome Infrastructure	BRERAP00038-3/351/R-233/2018	Occupancy Applied
Winsome Vatika	Abode Infrastructure	BRERAP00485-1/424/R-123 /2018	Occupancy Applied
Winsome Empire Block-E	Winsome Infrastructure	BRERAP2611201700038/1250/R1069/2020	Under Construction
Winsome Pitamber Gold	Sai Kripa Realtors	BRERAP45911-1/1117 /R-860/2019	Under Construction
Winsome Gurtej	Winsome Realtors	BRERAP60002-1/73/R-1167 /2021	Under Construction
Winsome Mahadev	Winsome Realcon	BRERAP14015-1/164/R-1466/2022	Under Construction
Winsome Pearlz	Winsome Realcon	BRERAP14015-2/12/R-1554/2023	Under Construction
Winsome Shakti	Abode Infrastructure	BRERAP00485-2/938/R-727/2019	Occupancy Applied
Winsome Icon	Winsome Realtors	BRERAP60002-5/98/R-1605/2023	Under Construction

Winsome Lifespace Developers
WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

Partner


PARTNER

Winsome Lifespace Developers

101, Suksha Presidency, Ramjaipal Road, Bailey Road, Patna-801503, Bihar India | +91 9123230464
www.winsomegroup.in



winsome

WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

TO,

REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY (RERA)

Patna

Bihar, Pincode-800023

Date: ___/___/___

Subject: Non Submission of Director's report

Dear Madan/Sir,

I Sanjeev Kumar, Partner of Winsome Lifespace Developers, Flat No.101, Suksha Presidency, Ram Jaipal Road ,Bailey Road,Danapur,P.S-Rupaspur, District-Patna,Bihar,PIN-801503, on behalf of the firm do hereby confirm that, our firm is a partnership firm thus we cannot produce Director's Report. This report can be presented by Private Ltd firms.

Thanking You

WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

Authorized Signatory **PARTNER**

Winsome Lifespace Developers

101, Suksha Presidency, Ramjaipal Road, Bailey Road, Patna-801503, Bihar India | +91 9123230464

www.winsomergroup.in



winsome

WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

ALLOTMENT LETTER

TO,

SHRI/SMT./MISS/.....

.....

.....

SUB:-ALLOTMENT LETTER FOR "WINSOME HARI PEARLZ"

MADAM/SIR,

IN RESPONSE TO YOUR APPLICATION DATED.....FOR BOOKING OF A FLAT WITH PARKING AREA IN "WINSOME HARI PEARLZ",SITUATED AT-.....TAUZI NO-.....SURVEY PLOT NO-.....THANA NO-.....MAUZA-.....THANA-.....DIST-.....BIHAR. WE ARE PLEASD TO ALLOT YOU FLAT NO-.....PARKING AREA OR NO-.....AT.....FOR A TOTAL CONSIDERATION RS..... (RUPEES-.....)ON THE TERMS AND CONDITIONS OF SALE AS AGREED AND TO BE SIGNED BY YOU AND THE PAYMENT PLAN IN ATTACHED HEREWITH FOR THE SAME. THE ABOVE ALLOTMENT IS SUBJECT TO REALIZATION OF THE CHEQUE/DRAFT PAID BY YOU AS BOOKING.

THANKING YOU

WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

WINSOME LIFESPACE DEVELOPERS

Sujeet Kumar
PARTNER

Winsome Lifespace Developers

101, Suksha Presidency, Ramjaipal Road, Bailey Road, Patna-801503, Bihar India | +91 9123230464
www.winsomergroup.in